न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,घाटमपुर कानपुर देहात

मु०नं० 369/2021

UPRN180005782021

सरकार बनाम शिवमोहन सिंह आदि

धारा 452,354 क,323,504,

506 भा०द०सं०

मु०अ०सं० 121/2020

थाना घाटमपुर, कानपुर नगर

आरोप

मैं इन्दिरा दानू, न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात आप लोगों शिवमोहन, राममोहन व ओकेन्द्र को निम्नवत आरोप से आरोपित करती हूँ।

प्रथम– यह कि दिनांक 06/03/2020 को समय लगभग 9.30 बजे बहद स्थान ग्राम कटरी थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर के अन्तर्गत आप लोगों ने वादी मुकदमा अतुल कुमार के घर में उपहति, हमला व सदोष अपराध की तैयारी के पश्चात् गृह अतिचार किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा 452 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादी मुकदमा अतुल कुमार की पत्नी के साथ लैंगिक उत्पीड़न हेतु उसके साथ अश्लील हरकतें की। इस प्रकार आप लोगों ने धारा 354 क भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादी मुकदमा अतुल कुमार व उसके परिवार वालों को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने धारा 323 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादी मुकदमा अतुल कुमार व उसके परिवार वालों को गाली गलौज कर लोकशान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा 504 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादी मुकदमा अतुल कुमार व उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देते हुए आपराधिक अभित्रास

का अपराध किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा 506 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक – 28/05/2024

(इन्दिरा दानू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3349

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्तगण ने विचारण की मांग की।

दिनांक – 28/05/2024

(इन्दिरा दानू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3349

Digitally signed by INDIRA DANU
Date: 2024.05.28 15:46:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court